

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

पत्रांक : 41 / वाद सं० सी-1085/एस-2/2022

दिनांक 3-4

संवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

श्री मुरसात (भारत टाइल्स) रोड, बंजारावाला रोड, देहरादून द्वारा स्थल पर भूतल एवं प्रथम 40 गुणा 60 क्षेत्रफल में व्यवसायिक निर्माण किया गया है एवं द्वितीय तल पर लगभग 12 गुणा 15 क्षेत्रफल की सहायता से कमरे का अनाधिकृत निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किये जाने व प्रकरण में सील आदेश पारित किये जाते हैं। प्राधिकरण द्वारा उक्त चालान शुदा अवैध निर्माण को 09.02.2023 को सील किया जाना था, परन्तु उक्त तिथि पर पुलिस बल उपलब्ध न होने कारण उक्त को दिनांक 13/04/23 को सील किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को सीलिंग कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु करने का कष्ट करें।

भवदीय,


सचिव

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को प्रकरण में कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का कष्ट करें।
2. संबंधित थानाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. समस्त सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं (इलैक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
4. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को दो वाहन एवं सीलिंग से संबंधित समस्त संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. मुरसात (भारत टाइल्स) रोड, बंजारावाला रोड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त तिथि सील किया जाना है, विपक्षी स्थल पर स्वयं उपस्थित रहें एवं शेष नियम व शर्तें पूर्व पत्रांक-3749 दिनांक 02.2.2023 की यथावत रहेगी।


03/04/23


सचिव

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।

20